सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

कोटा कृषि ....विश्वविद्यालय,
..............University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.49(2)आरबी/2022/4350
दिनांक : 21 अगस्त, 2022

आदेश

डॉ. दिनेश चन्द्र जोशी को राजभवन के आदेश क्रमांक एफ. 49(1)आरबी/2013/6411–6412 दिनांक 21.08.2019 के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा 25(1) व 25(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का कुलपति नियुक्त किया गया। डॉ. जोशी द्वारा कुलपति पद का कार्यभार दिनांक 22.08.2019 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया था। डॉ. जोशी का कार्यकाल दिनांक 21.08.2022 को पूर्ण होने जा रहा है।

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25(3) के अंतर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2013 (यथा संशोधित) की धारा 25(9) व 25(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो. नीलिमा सिंह, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रिम आदेशों तक कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत (Stop-gap arrangement) अतिरिक्त प्रभार के रूप में कृषि विश्वविद्यालय, कोटा के कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0
(कलराज मिश्र)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.49(2)आरबी/2022/ 4341 दिनांक : 21 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. डॉ. दिनेश चन्द्र जोशी, कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
6. प्रो. नीलिमा सिंह, कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा।
8. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।

(सुबीर कुमार)
प्रमुख सचिव,
राज्यपाल राजस्थान